

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र- 2(क)

E-mail deo-chp-edu-uk@nic.in दूरभाष/फैक्स- 05965-230614 05965-230531

पत्रांक:- 818-37 / शि0का0अ0 / मान्यता / 2023-24 दिनांक

01 जून 2023,

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

उदयन इंटरनेशनल स्कूल चम्पावत (कक्षा 01-08) अग्रेजी माध्यम

जनपद-चम्पावत।

म

विषय:-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 (2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधित) नियमावली 2013 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक 30-04-2023 के द्वारा आपके विद्यालय उदयन इंटरनेशनल स्कूल चम्पावत (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा -19 (2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। जनपद चम्पावत में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या UPS/52 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

नोट-प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2028 तक विधिमान्य होगा।

भवदीय,

13

(आर0सी0पुरोहित)

मुख्य शिक्षा अधिकारी,

चम्पावत।

पृ0सं0/818-37 / शि0का0अ0 / मान्यता / 2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेडा देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास चम्पावत।
6. संबंधित खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।
7. कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

13/06/23

(डॉ अशोक कुमार गुसाई)

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)

चम्पावत।